

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

गुकाग


चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोपाल

बनाम

किरणलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 25/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>17.1.25</u>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोपाल</u></p> <p>पिता श्री <u>अवंतलाल ब्राह्मण</u></p> <p>निवासी- <u>नरपत नी खेरी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नरपत नी खेरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>खाता नं. 96, 92, 95 में वर्णित आराजी</u></p> <p>कुल कीता <u>8+1+2=11</u> कुल रकबा <u>2.45</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नरपत नी खेरी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>खाता नं. 96, 92, 95</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> रकबा <u>2.45</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक जज (अ.प.) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>